कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/शिक्षा स्था./2026I/1064163/2026 भोपाल, दिनांक03-06-2026

प्रति,

1. **समस्त संभागीय उपायुक्त,**
   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
   मध्यप्रदेश

2. **समस्त सहायक आयुक्त,**
   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
   मध्यप्रदेश

3. **समस्त जिला संयोजक,**
   जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
   मध्यप्रदेश

विषय:**-** वर्ष **2026-27** की स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण आवेदनों के संबंध में निर्देश।

-000-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक **GAD/4/0001/2026-GAD-9-01** दिनांक **22.05.2026** के द्वारा वर्ष **2026-27** हेतु स्थानांतरण नीति जारी की गई है। उपरोक्तानुसार स्थानांतरण संबंधी आवेदन प्रक्रिया तथा स्थानांतरण आवेदनों के परीक्षण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश का जारी किए जाते है **:-**

1. **e-HRMS** पोर्टल पर स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन दिनांक **03.06.2026** से दिनांक **08.06.2026** तक प्राप्त किये जायेगें ।
2. आवेदक द्वारा स्थानांतरण के लिए वांछित संस्थान चुनने के लिए अधिकतम **15** कार्यालय/संस्थानों का चयन किया जा सकता है।
3. छात्रावास/आश्रम अधीक्षक पद पर नवीन पदस्थापना नही की जावेगी। अत: इन पदों पर आवेदक पदस्थापना हेतु स्थानांतरण आवेदन न करें।
4. आवेदक द्वारा स्थानांतरण हेतु उल्लेखित कारण की पुष्टि हेतु आवश्यक निर्धारित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है।अपलोड किया जाने वाला अभिलेख केवल **PDF** फॉर्मेट में तथा अधिकतम **2 MB** आकार का होना चाहिए। अधूरे / त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त किए जा सकेंगे।
5. आवेदक द्वारा अंतिम रूप से आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदन में भरी गई जानकारी की पुष्टि कर लें। एक बार सबमिट के उपरांत आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
6. आवेदक द्वारा यह पुष्टि की जावे कि अपलोड किए जा रहे अभिलेखों की सत्यता

एवं प्रामाणिकता हेतु घोषणा पत्र को स्वयं प्रमाणित किया गया है, तथा उक्त का अंतिम प्रमाणीकरण संबंधित कार्यालय प्रशासक **(Office Administrator)** द्वारा किया गया है और यह पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

7. स्वैच्छिक आवेदन में सत्य जानकारी देने का दायित्व आवेदक एवं सत्यापन का दायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने एवं सत्यापन अधिकारी द्वारा गलत जानकारी सत्यापित किए जाने पर दोनों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
8. पोर्टल पर दर्शायी गई रिक्तियाँ अनंतिम **(tentative)** हैं एवं अद्यतन आंकड़ों के आधार पर परिवर्तन करना विभाग के अधिकार क्षेत्र में है।
9. स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में अंकित विकल्पों में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य संस्था में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
10. राज्य स्तर से किए गए प्रशासनिक/स्वैच्छिक स्थानांतरण जिले स्तर पर मान्य होंगे । यदि उसी स्थान पर जिले द्वारा स्थानांतरण किया गया है, तो जिला स्तरीय आदेश स्वयेंव निरस्त माना जाएगा। राज्य स्तर से किये गए स्थानांतरण की स्थिति में जिला स्तर पर उस स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर जिला अंतर्गत अन्य रिक्त स्थान पर सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग के विकल्प पर पदस्थापना की जाएगी । जिले में सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग के विकल्प पर पदस्थापना संभव नहीं होने पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।
11. उच्च पद प्रभार प्राप्त शासकीय सेवक का उच्च पद पर स्थानांतरण मान्य किया जाएगा। उच्च पद प्रभार के पद पर की जाने वाली लंबित पदस्थापना के आवेदन **e-HRMS** पोर्टल पर प्राप्त किये जाऐंगे एवं पोर्टल पर निर्धारित प्रकिया के तहत नियमानुसार स्थानांतरण किये जा सकेगें। उच्च पद प्रभार प्राप्त शासकीय सेवकों द्वारा **e-HRMS** पोर्टल पर आवेदन नहीं करने अथवा विकल्प अनुसार पदस्थापना रिक्त पद नहीं होने अथवा अन्य किसी कारण से संभव नहीं होने की स्थिति में पदस्थापना प्रशासकीय आधार पर की जा सकेगी।
12. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण संस्थाओं में रिक्त विषय पर ही किये जाऐंगे।
13. प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण परिवीक्षा अवधि में नहीं किए जाऐंगे।
14. मात्र ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत कर देने से स्थानांतरण का अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है। मुख्यालय स्तर पर आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है एवं यह प्रक्रिया कभी भी समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में मुख्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

जिला अधिकारियों हेतु अतिरिक्त निर्देश :-

15. **स्थानांतरण हेतु संख्या की गणना :** जिला अंतर्गत किये जाने वाले स्थानांतरणों में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कण्डिका-**12** अनुसार प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) के तहत विभागांतर्गत पद/संवर्गवार में कार्यरत एवं स्थानांतरण हेतु अनुमत्य संख्या के भीतर ही स्थानांतरण किये जाये। भरे पदों में उच्च पद प्रभार प्राप्त पदों को भी सम्मिलित किया जाए।
16. **eHRMS Portal** पर दिनांक **05.06.2026** तक रिक्तियां अनिवार्यत: अद्यतन कर दी जाए। वर्तमान में गलत पदनाम से प्रविष्टियां हैं, उनमें भी सुधार कर सही पदनाम से प्रविष्टि की जाए। रिक्तियों की **Entry/**सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख/**DDO/Office Admin** की है।
17. राज्य स्तर से किये जाने वाले स्वैच्छिक आवेदन में सत्य जानकारी देने का दायित्व आवेदक एवं उन्हें सत्यापन का दायत्वि आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा । आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने एवं सत्यापन अधिकारी द्वारा गलत जानकारी सत्यापित किए जाने पर दोनों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । अत: आवेदक की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित कार्यालय प्रमुख/**DDO/Office Admin** द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात ही **eHRMS Portal** पर अग्रेषित की जाए।
18. छात्रावास/आश्रम शालाओं के अधीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किया जाना है, अत: **e-HRMS** पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित नहीं किये जाएंगे।

Digitally signed by
TARUN RATHI
Date: 03-06-2026
19:58:00

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

पृ. **क्रमांक/शिक्षा स्था./2026I/1064163/2026 भोपाल, दिनांक 03-06-2026**

1. विशेष सहायक, माननीय मत्री जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास भोपाल मध्यप्रदेश ।
4. आयुक्त-सहसंचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनायें भोपाल मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त-सहसंचालक, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था भोपाल मध्यप्रदेश ।
6. आयुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन भोपाल मध्यप्रदेश।

8. कलेक्टर, समस्त जिला मध्यप्रदेश।
9. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग भोपाल।
11. आई.टी. सेल आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश भोपाल।

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश